कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक –3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,
Email- slqaccg@gmail.com, Website – highereducation.cg.gov.in

क्र. 871/192/आउशि/गु.प्र./2025   नवा रायपुर, दिनांकः 02/09/2025

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़

विषयः NEP 2020 अंतर्गत GE एवं VAC के विकल्प प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भः
1. इस कार्यालय का पत्र क्रं. 763/204/आउशि/गु.प्र./2025 दिनांक 01.04.2025।
2. इस कार्यालय का पत्र क्रं. 757/204/आउशि/गु.प्र./2025 दिनांक 24.03.2025।
3. इस कार्यालय का पत्र क्रं. 757/204/आउशि/गु.प्र./2025 दिनांक 18.03.2025।
4. इस कार्यालय का पत्र क्रं. 564/192/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 12.07.2024।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सत्र 2025–26 के अंतर्गत प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थी के लिए VAC (Value Addition Course) एवं GE (Generic Elective) का चयन संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है –

1. NEP 2020 के प्रावधानानुसार VAC, प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाना है। पूर्व में प्रेषित/विश्वविद्यालय द्वारा जारी VAC Pool में अंकित कुल 44 कोंसेस प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर के लिये लागू है। विद्यार्थी के द्वारा प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में एक–एक VAC का चयन कर अध्ययन किया जाना है। किसी भी VAC कोर्स का पुनरावृत्ति नही किया जा सकेगा।

2. NEP 2020 के प्रावधानानुसार प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिये जेनरिक ईलेक्टिव (GE) का चयन किया जाना अनिवार्य है। पूर्व सत्र की भांति इस सत्र में भी समस्त विषयों के DSC-01 एवं DSC-02 का करिकूलम GE-01 एवं GE-02 के रूप में मान्य होगा तथा संकाय – कॉमर्स, प्रबंध, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं गृह विज्ञान के DSC-01,–02,–03 एवं DSC-04,–05 एवं –06 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिये GE-01,–02,–03 एवं GE-04,–05 एवं –06 के रूप में मान्य होगा।

3. प्रथम सेमेस्टर का विद्यार्थी किसी भी विषय का GE-01 चयन कर सकता है, (जो उस महाविद्यालय में संचालित हो) जबकि कॉमर्स/प्रबंध/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/गृह विज्ञान में GE-01, GE-02, एवं GE-03 से कोई एक कोर्स का चयन कर सकता है।

4. प्रावधानानुसार तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा DSE अथवा GE के विकल्प का चयन किया जाना है।

4.1 स्नातक ऑनर्स/ऑनर्स विथ रिसर्च के लिये DSE के विकल्पों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, जहॉ विद्यार्थी द्वारा उसी विषय का DSE चयन किया जाये जिस विषय में वह ऑनर्स करना चाहता है।

4.2 तीन वर्ष/छः सेमेस्टर तक अध्ययन कर कार्यक्रम से निकास (Exit) हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिये GE अथवा DSE का चयन किया जाना प्रावधानित है।

क्रमशः 02

5. तृतीय सेमेस्टर का विद्यार्थी किसी भी विषय का GE-01 चयन कर सकता है, (जो उस महाविद्यालय में संचालित हो) जबकि कॉमर्स/प्रबंध/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/गृह विज्ञान में GE-01, GE-02, एवं GE-03 से कोई एक कोर्स का चयन कर सकता है। विद्यार्थी द्वारा जिस विषय/कोर्स का अध्ययन प्रथम सेमेस्टर में कर लिया गया है उस कोर्स का पुनरावृत्ति नही किया जा सकेगा।

6. यदि तृतीय सेमेस्टर का विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में अध्ययन किये गये विषय का ही अध्ययन GE के रूप में करना चाहता है तो उन्हे उक्त विषय का DSC- 03 तथा कॉमर्स, प्रबंध, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं गृह विज्ञान संकाय के DSC-07,–08,–09 कोर्स का चयन जेनरिक ईलेक्टिव के रूप में किया जायेगा।

(डॉ. संतोष कुमार देवांगन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

पृ.क्र. 872/192/आउशि/गु.प्र./2025 नवा रायपुर, दिनांकः 02/09/2025

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर